

बी.एड. सत्र 2021-23
के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सूचना

बी.एड. सत्र 2021-23 में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में निम्नलिखित सीटें अवशेष हैं :-

क्र.सं.	विज्ञान वर्ग	सीटों की संख्या
1.	ST	01
2.	EWS	01
3.	EWS (Female)	01

क्र.सं.	कला वर्ग	सीटों की संख्या
1.	EWS	01
2.	EWS (Female)	01

अतः उपर्युक्त सीट पर प्रवेश पाने हेतु -

- (1) सामान्य एवं ओ.बी.सी. श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी.एड. प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक-पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो तथा एस.सी. एवं एस.टी. के वे अभ्यर्थी जिन्होंने पृथक-पृथक 27 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- (2) जो अभ्यर्थी आनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क किसी कारण जमा न कर पाये हों, वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित काउंसलिंग शुल्क (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 700/- रुपये और अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 400/- रुपये) का बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम से बनाकर महाविद्यालय में जमा करें।

बी.एड. सत्र 2021-23 में प्रवेश हेतु मुख्य तिथियां इस प्रकार हैं-

1. काउंसलिंग हेतु आवेदन शुल्क जमा - 22.03.2022
करने की अंतिम तिथि
2. शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन - 22.03.2022
3. सत्यापन के बाद वरियता सूची का - 22.03.2022
प्रकाशन महाविद्यालय वेबसाइट पर सायं 5 बजे
(www.kldavpgcr.ac.in)
4. प्रवेश लेने की अंतिम तिथि - 25.03.2022

(1)


Megb
12/03/22


क्रमशः पृष्ठ नं. 2 पर

प्राचार्य
के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज
रुड़की

बी.एड. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021-23 में प्रवेश हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र-

1. बी.एड. प्रवेश परीक्षा सत्र 2021-23 का स्कोर कार्ड।
2. काउंसलिंग हेतु शुल्क जमा करने की रसीद/बैंक ड्राफ्ट।
3. समस्त शैक्षिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र।
5. राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत दो चरित्र प्रमाण-पत्र।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
7. कहीं किसी प्रकार की सेवा में (अंशकालिक या पूर्णकालिक) सेवारत हों तो अपने विभाग के सक्षम अधिकारी से कार्यभार मुक्ति प्रमाण-पत्र।
8. अंतिम संस्था से इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी वर्तमान में कहीं भी अध्ययनरत नहीं है।
9. बाह्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा सत्यापन की प्रति।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वयं भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सैनानियों के आश्रित एवं विकलांग अभ्यर्थी जो उक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं, हेतु जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/सैनिक कल्याण बोर्ड/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार होंगे।
11. अधिभार अंक (Weightage) प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
12. आधार कार्ड की मूल प्रति।


विभागाध्यक्ष
Head
Department of Education
K.L.D.A.V. (PG) COLLEGE
Roorkee


प्राचार्य
के.एल.डी.ए.वी. (पी.जी.) कॉलेज
रुड़की